भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 725

26 जुलाई,2024 को उत्तर दिया जाएगा

बांझपन के मामले

†725. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में वर्ष 2001 और 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार संतानहीनता/बांझपन की दर में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उपचार करा रहे कर्मचारियों के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने हेतु विशेष रूप से केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रतिपूत नीतियों के साथ-साथ निजी बीमा योजनाओं के अंतर्गत आईवीएफ़ जैसे बांझपन उपचारों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने देशभर में आर्थिक रूप से वंचित जनसंख्या के लिए इन उपचारों को सुलभ/वहनीय बनाने के लिए प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत योजना) जैसी मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं मे बांझपन के उपचार को शामिल करने पर विचार किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा बांझपन, इसके कारणों/उपलब्ध उपचारों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और प्रभावित दंपतियों को मनो-भावनात्मक सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) 2001 और 2011 की जनगणना रिपोर्ट इस कथन की पुष्टि नहीं करती है।

(ख) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और केंद्रीय सेवा (चिकित्सा उपस्थिति) नियम,1944 के तहत लाभार्थियों के लिए आईवीएफ उपचार का खर्च कुछ शर्तों के साथ प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं।

(ग) सरकार ने प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बांझपन उपचार को शामिल नहीं किया है।

(घ) सरकार ने सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021, 25.01.2022 से प्रभावी, लागू किया है जो प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दों के समाधान के लिए सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी सेवाओं की सुरक्षित और नैतिक प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिकों और बैंकों को विनियमित करता है, जहां सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। यह दुरुपयोग को भी रोकता है, गोपनीयता सुनिश्चित करता है और उल्लंघन के लिए दंड निर्धारित करता है। सरकार ने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021, 25.01.2022 से प्रभावी, भी लागू किया है जो वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाता है, गरीब कमजोर महिलाओं के शोषण को रोकता है, स्वार्थहीन सरोगेसी की अनुमति देता है, और सूचित सहमति और कानूनी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करता है। यह राष्ट्रीय और राज्य सरोगेसी बोर्ड स्थापित करता है, क्लिनिक पंजीकरण अनिवार्य करता है, और उल्लंघन के लिए दंड निर्धारित करता है। इन दोनों अधिनियमों को देश में बांझपन की समस्या के समाधान के लिए एक पारदर्शी और जानकारी पर आधारित वातावरण बनाने के लिए लागू किया गया है।

*****